न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—100/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00113)

1. कालूराम पुत्र घासी, जाति मीना, निवासी ग्राम जोधराला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामकिशन,
2 गोपाल पुत्रान श्री घासीराम, जाति मीना, निवासी ग्राम जोधराला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 31.01.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ के आदेश दिनांक 23.09.14 (प्रकरण संख्या 23/11) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद अपीलार्थी को बतौर पक्षकार संयोजित किये बगैर अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये बगैर पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के साथ–साथ सुनवाई के अधिकार के सिद्धान्त का भी उल्लंघन है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में साबिक भूमि खसरा नम्बर 789 के हाल खसरा नम्बर 165, 170, 171, 172 कथित करते हुये उक्त भूमि से ही निकली हुई सड़क के संदर्भ मे प्रार्थना पत्र के माध्यम से राजस्व अभिलेख के नक्शें में संशोधन किया जाने का कतिपय अनुतोष चाहा था, अपीलार्थी अन्य के अतिरिक्त उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 165, 170, 171, 172 के हिस्सा 25/128 का खातेदार काश्तकार है, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपीलार्थी के साथ–साथ उपरोक्त भूमि के अन्य खातेदारान का भी आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद बतौर पक्षकार संयोजित किये बगैर आक्षेपित निर्णय पारित करवा लिये है, जो कतई विधि सम्मत नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में इस तथ्य को भी स्वीकृत किया था कि सड़क 25 वर्ष पुरानी है, ऐसी सूरत में सड़क जो राजमार्ग थी तथा जो सरकार के अधीन थी ऐसी सूरत में राजमार्ग प्राधिकरण को प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक था परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने राजमार्ग प्राधिकरण

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

को पक्षकार बनाये बिना मौके पर डाली गई सड़क के अलाईमेन्ट को परिवर्तित करवाने के लिये राजस्व अभिलेख के नक्शे बाबत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त संदर्भ में न्यायिक चित लगाये बगैर आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया जो कतई विधि सम्मत नही है। उन्होने आगे कथन कया है कि राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क डाले जाने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की गई थी तथा मौके पर सड़क के आलाईमेन्ट के संदर्भ में राजमार्ग प्राधिकरण स्थिति को बखूबी रूप से न्यायालय के समक्ष स्पष्ट कर सकता था तथा तहसीलदार तहसील जमवारामगढ से आक्षेपित निर्णय पारित किये जाने से पूर्व मौके की भौतिक स्थिति के संदर्भ में स्पष्टीकरण नही लिया गया तथा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया, जो कतई विधि सम्मत नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.09.14 की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में कतई नही थी क्योंकि अपीलार्थी को प्रकरण में ना तो पक्षकार संयोजित किया गया, ना ही सुनवाई का मौका दिया गया तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.09.14 से अपीलार्थी के हक अधिकार दुष्प्रभावित हुये है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय से बाला–बाला निर्णय दिनांक 23.09.14 प्राप्त कर बाला–बाला राजस्व अभिलेख के नक्शे को परिवर्तित करवाना चाह रहे थे जिसके अनुक्रम में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 दिनांक 29.09.16 को प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 165 उत्तरी–पश्चिमी हिस्से में बनी हुई दुकानात में तोड़–फोड़ करने के लिये आये तथा कब्जा खाली करने की धमकी दी जिस पर दौराने कहासुनी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त किये गये निर्णय दिनांक 23.09.14 का जिक्र किया जिस पर अपीलार्थी को शक होने पर अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 04.03.16 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये नकल का आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 10.03.16 को पत्रावली की प्रतिलिपि प्राप्त की तो अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.09.14 की जानकारी तथा उपरोक्त सम्पूर्ण वृतान्त की जानकारी हुई इस प्रकार जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की है, परन्तु फिर भी अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने के लिये प्रार्थना धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी पृथक से पेश किये गये है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाये जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.09.14 को अपास्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम जोधराला तहसील जमवारामगढ मे स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 790 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा जिनके नवीन एकीकरण के तहत नवीन खसरा नम्बर 163 रकबा 0.85 ऐयर कायम किये गये है, के रेस्पोडेन्ट खातेदार काबिज काश्तकार है तथा उक्त वर्णित भूमि के सींव जोड पश्चिमी ओर आराजी खसरा नम्बर 789 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थिति

संभागीय आयुक्त
जयपुर

है जिसके नवीन वर्तमान सैटलमेन्ट के दौरान नवीन खसरा नम्बर 165 रकबा 0.33, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.01, खसरा नम्बर 171 रकबा 0.70 ऐयर एवं खसरा नम्बर 172 रकबा 0.15 ऐयर कायम किय गये तथा खसरा नम्बर 789 में करीब 25 वर्ष पूर्व एक सड़क निकाली गई है, जो रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 790 की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर नजरी नक्शे में ए से बी दर्शाई गई अनुसार है किन्तु वर्तमान सैटलमेन्ट के दौरान उक्त सड़क व उक्त भूमि खसरा नम्बर 790 (163) जो विवादित है का क्षेत्रफल चौड़ाई कम कर लम्बाई में बढ़ाकर वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 166 के पूर्वी सीमा से लगवा नवीन खसरा नम्बर 162 के मध्य से बीच हिस्से तक उत्तरी ओर दिखाया गया है जो नितान्त गलत और वास्तविक कब्जे व पूर्व नक्शे के विपरित दर्शाया गया है जबकि पूर्व नक्शे में खसरा नम्बर 788 के उत्तरी पूर्वी सींव के करीब 1/4 हिस्से तक था जिसे पूर्व के नक्शें अनुसार नजीरी नक्शें में सी.डी.ई.ए. से दर्शाया गया है तथा नवीन नक्शें में पीले रंग से दर्शाया है इस प्रकार नवीन एकीकरण के दौरान नक्शे में खसरा नम्बर 790 की चौड़ाई को कम कर लम्बाई बढा दी गई है और सड़क जो खसरा नम्बर 790 (163) के बीच खसरा नम्बर 165 दर्शा दिया गया जो एकीकरण विभाग द्वारा पूर्व नक्शें अनुसार वास्तविक स्थिति के विपरित तरमीम किया गया है जिसे निरस्त करवाकर पूर्व व वास्तविक स्थिति कायम करवाने के रेस्पोडेन्ट कानूनन अधिकारी है जिसके लिऐ रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार से दुरूस्ती के लिय आग्रह किया किन्तु तहसीलदार ने किसी भी प्रकार के नक्शें मे संशोधन के लिऐ इन्कार कर सक्षम न्यायालय से दुरूस्ती के आदेश प्राप्त करने की हिदायत दी गई इसलिये रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट तलब कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.14 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है एवं अपीलाधीन आदेश विधिक तौर पर उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रवली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवश्यक पक्षकार थे लेकिन अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 165, 170, 171, 172 के हिस्सा 25/128 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2014 पारित करने

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

से पर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.09.2014 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2014 को खारिज किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय परित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।